मान्नीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

कोर्ट फी COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

अमरपाल सिंह तनय श्री भागीरथी सा0 दानीसोन तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

---- आवेदक

A0रा0नि/रीवा/भू0रा0/2018/02449

बनाम

दुलरी पुत्री भागीरथी सा0 दानीसोन तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

---- अनावेदिका

प्र0 क्र0 ... आज दि0 19-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी तह0 हनुमना जिला रीवा के आदेश दिनांक 05/04/2018. प्र0क0 195 /अ 6/16–17 अन्तर्गत धारा 50 कानून माल सन् 1959 ई0 ।

मान्यवर,

SHUKLA

आधार निगरानी निम्न प्रकार से हैः–

1– यह कि प्रश्नास्पद आदेश दिनांक 05/04/2018 विधि विधान के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

2– यह कि इस अपील प्रकरण में अपील पंजीबद्व करने, रिकार्ड आहूत किये जाने सम्बन्धी आदेश का हवाला प्रकरण पत्रिका आर्डरसीट में उल्लिखित नहीं है कार्यवाही मनमानी तौर पर की जा रही है।

3– यह कि धारा 5 का आवेदन का जवाव नहीं लिया गया न उस पर कोई बहस ही हुई और वह आवेदन भी अनिर्णीत है और आगे कार्यवाही विधि विरूद्व ढंग से की जा रही है।

4– यह कि अपील के पक्षकार बनने सम्बन्धी आवेदन भी अभी अनिर्णीत है, पेशी दिनांक 01/03/2018 नियत की गई तर्क हेतु पर तर्क नहीं हुआ ।

5– यह कि प्रकरण में गवाहों के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया पर इसका उल्लेख प्रकरण पत्रिका में कहीं भी नहीं है किस विवादित प्रश्न पर साक्ष्य ली जाना है और किसकी ओर से ले जाना है और यदि साक्ष्य ली जा रही है तो

(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक III / निग/शिवा/अरा./18/2449 अमरपाल / कुलदीप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
08/01/19	आवेदक की ओर से श्री ...... अधिववता द्ववारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ...... के प्रकरण क्रमांक 195/अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 5-4-18 के विरून्द्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवा. के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/04/19 को कलेक्टर जिला शिवा. के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	